न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढ़ी।

विचारणय संख्या–39/2018

सी0आई0एस0 संख्या– 1294/2018

बिहार सरकार द्वारा सूचक महेन्द्र राम.....अभियोजन

बनाम्

अमित कुमार सिंह एवं छः अन्य.....अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढ़ी।

उपस्थितः राजीव कुमार–III,

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढ़ी।

निर्णय की तिथि

01वीं अप्रैल, 2026.

(विचारण संख्या 39/2018, सी0आई0एस0 संख्या–1294/2018)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

सीतामढ़ी थाना कांड संख्या 11/2018, जी0आर0 सं0– 389/2018

परिवादी/सूचक	बिहार सरकार द्वारा महेन्द्र राम, पिता– स्व0 सुकेश्वर राम, स्थीयी पता ग्राम–भीमपुर भपुरा, थाना–रुन्नीसैदपुर, जिला –सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः– श्री शोभा कुमारी, विशेष लोक अभियोजक	
अभियुक्तगणः– 1. अमित कुमार सिंह उर्फ गुलाब सिंह, उम्र लगभग 44 वर्ष, पिता– देवनाथ सिहं 2. देवनाथ सिंह, उम्र लगभग 64 वर्ष, पिता– स्व0 जामुन सिंह 3. सरोज राय, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता–सत्येन्द्र राय 4. धमेन्द्र महतो, उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता– रामजी महतो 5. लक्ष्मण साह, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता– श्री नारायण साह 6.चन्दन सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता– देवनाथ सिंह 7. शिवजी महतो, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता– हरिचन्दर महतो सभी साकिन– भीमपुर भपुरा , थाना–रुन्नीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी।	
प्रस्तुतकर्त्ताः–अभय कुमार, अधिवक्ता	

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	10.04.2017
प्राथमिकी का दिनांक	03.02.2018
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	16.06.2018
आरोप गठन का दिनांक	21.01.2025
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	13.02.2026
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	01.04.2026
निर्णय का दिनांक	01.04.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का क्रमांक	अभियुक्तो का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्ध	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
1.	अमित कुमार सिंह उर्फ गुलाब सिंह	15.05.2019	15.05.2019	u/s 147, 323/149, 504/34, 379/149, I.P.C. एवं u/s 3(1)(S) SC/ST (POA)	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं

				Act			
2.	देवनाथ सिंह	15.05.2019	15.05.2019	u/s , 147, 323/149, 504/34, 379/149, I.P.C. एवं u/s 3(1)(S) SC/ST (POA) Act	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	सरोज राय	15.05.2019	15.05.2019	u/s , 147, 323/149, 504/34, 379/149, I.P.C. एवं u/s 3(1)(S) SC/ST (POA) Act	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं
4	धमेन्द्र महतो	21.12.2019	21.12.2019	u/s , 147, 323/149, 504/34, 379/149, I.P.C. एवं u/s 3(1)(S) SC/ST (POA) Act	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं
5	लक्ष्मण साह	15.05.2019	15.05.2019	u/s , 147, 323/149, 504/34, 379/149, I.P.C. एवं u/s 3(1)(S)	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं

				SC/ST (POA) Act			
6	चन्दन सिंह	30.07.2019	30.07.2019	u/s 147, 323/149, 504/34, 379/149, I.P.C. एवं u/s 3(1)(S) SC/ST (POA) Act	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	शिवजी महतो	15.05.2019	15.05.2019	u/s , 147, 323/149, 504/34, 379/149, I.P.C. एवं u/s 3(1)(S) SC/ST (POA) Act	**दोषमुक्त**	कोई नहीं	कोई नहीं

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	महेन्द्र राम	सूचक /जख्मी साक्षी

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नही	किोई नही
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	कोई नही	कोई नही

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. अमित कुमार उर्फ गुलाब ,2. देवनाथ सिंह, 3. सरोज राय, 4. धमेन्द्र राय, 5. लक्ष्मण साह, 6. चंदन सिंह, 7. श्विजी महतो का विचारण भा0द0वि0 की धारा–147, 323/149, 504/34, 379/149 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(S) के अन्तर्गत ग्राम–भीमपुर भपुरा, थाना–रुन्नीसैदपुर, जिला –सीतामढी में दिनांक 10.04.2017 को सूचक को मारकर जख्म करने एवं गाली देने के अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचक महेन्द्र राम के परिवाद–पत्र के अनुसार यह है कि मैं महेन्द्र राम घटना तिथि वो समय को परिवादी ग्राम स्थित हरिजन केका पर साफ–सफाई करा जा रहा था कि अभियुक्तगण हरवे हथियार से लैश होकर आये तंग अभियुक्त सं0–2 कहा कि हमलोग तुमको बार–बार यह कहते हैं कि तुमलोग इस हरिजन बैठका को छोड़ दो इसको हम तुड़वा कर पैक्स का भवन बनायेंगे। परिवादी ने कहा कि यही तो हमलोगों का एक उठने बैठने या किसी के लड़की के शादी विवाह में बारात वो गेरह ठहरता है। जिसको हमलोगोंका इज्जत बनता है जिस पर अभियुक्त सं0–2 ने अन्य अभियुक्तगण को आदेश देते हुए कहा कि मारो साले चमरवा को हरिजन होकर कानून पड़ता है नेता गरी करता है। उसको बार–बार पहले भी कह चुके हैं कि तुमलोग उस हरिजन बैठका को खाली कर दो। इसको तुड़वा कर पैक्स का भवन बनवा देंगे इतना सुनते ही अभियुक्त सं0–1,3,4,5 परिवादीके साथ लप्पड़–थप्पड़, जुता–चप्पल से मारपीट करने लगे एवं अभियुक्त सं0 6 एवं 7 ने परिवादी के जेब से 11,000 रूपया निकाल लिया जो रूपया लैट्रिन बनाने के लिए सरकार से मिला था। परिवादी के चिखने चिल्लाने पर साक्षी सं0–3 सुवेश्वर राम कहने आया तो उसे भी अभियुक्तगण बोले की साले चमरवा सबो को कहते हैं कि तुम हरिजन बैठका को खाली कर दो तो यह सब नहीं मानता है। साक्षी सं0–3 कसे भी सभी लोग मिलकर मार पीट किया तथा अभियुक्त सं0–2 ने कहा कि यह सब ऐसे नहीं मानेगा सब साले चमरवा के शरीर पर पेशाब कर दो तब तक सभी साक्षीगण एवं अन्य ग्रामीण लोग आ गये जो बीच बचाव किये तो परिवादी एवं साक्षी सं0–3 का जान बच सका।

3. सूचक के उपरोक्त परिवाद–पत्र के आधार पर सीतामढ़ी थाना कांड संख्या–11/2018 दिनांक 03.02.2018 अन्तर्गत धारा–147, 148, 323, 379, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(S) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट प्राथमिकी सात अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर, उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 11. अमित कुमार उर्फ गुलाब ,2. देवनाथ सिंह, 3. सरोज राय, 4. धमेन्द्र राय, 5. लक्ष्मण साह, 6. चंदन सिंह, 7. श्विजी महतो के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 323, 379, 504, भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(S) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया।

5. आरोप पत्रित अभियुक्तगण 1. अमित कुमार उर्फ गुलाब ,2. देवनाथ सिंह, 3. सरोज राय, 4. धमेन्द्र राय, 5. लक्ष्मण साह, 6. चंदन सिंह, 7. श्विजी महतो विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 147, 148, 149, 323, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(S) के अन्तर्गत में संज्ञान दिनांक 28.01.2019 को लिया गया है।

6. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. अमित कुमार उर्फ गुलाब ,2. देवनाथ सिंह, 3. सरोज राय, 4. धमेन्द्र राय, 5. लक्ष्मण साह, 6. चंदन सिंह, 7. श्विजी महतो विरूद्ध अन्तर्गत धारा–147, 323/149, 504/34, 379/149, भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

7. अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दू

8. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के क्रम में मौखिक साक्ष्य के रूप में एक मात्र अभियोजन साक्षी का साक्ष्य कराया गया है जो अभियोजन साक्षी संख्या–1 महेन्द्र राम है।

10. अभियोजन की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. बचाव पक्ष का बचाव है कि वे निर्दोष है तथा उन्होंने घटना कारित नहीं किया है।

12. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि इस वाद में अभियोजन साक्षी संख्या–1 महेन्द्र राम है जो इस वाद का सूचक है। इस साक्षी ने अपने मुख्य–परीक्षण में घटना का समर्थन किया है। इस प्रकार विद्वान विशेष लोक अभियोजक कानून के अनुसार निर्णय करने की प्रार्थना करते हैं।

13. बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से इस वाद में एक मात्र साक्षी महेन्द्र राम का साक्ष्य कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य–परीक्षण में घटना का समर्थन किया है, परन्तु अपने प्रति–परीक्षण में कहा है कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। घटनास्थल पर अभियुक्तगण एक साथ नहीं आया था, बारी–बारी से आया था। अमित कुमार सिंह को गांव में गुलाब सिंह भी कहते है। अभियुक्तगण अनुसूचित जाति का सदस्य समझकर प्रताड़ित नहीं

किया था। अभियुक्तगण से राजी खुशाी से सुलह कर दिया हूं। सुलहनामा एवं इजाजतनामा पर अंगूठे का निशान करके न्यायालय में दाखिल किया हूँ। भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सभी आरोप अभियुक्तों के विरूद्ध साबित नहीं होता है। इस प्रकार, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सभी आरोपों से मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या **1. महेन्द्र राम** है। मैं इस केस का सूचक हूं। घटना आज से 9 साल पहले, साढ़े पांच बजे शाम की है। उस दिन अभियुक्त 1 अमित कुमार उर्फ गुलाब सिंह ,2. देवनाथ सिंह, 3. सरोज राय, 4. धमेन्द्र राय, 5. लक्ष्मण साह, 6. चंदन सिंह, 7. शिवजी महतो सभी लोग मुझे गाली–गलौज एवं मारपीट किा। घटना के संबंध में परिवाद–पत्र संख्या 545/2017 दाखिल किया जिसके आधार पर एस0 सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या 11/2018 दर्ज हुआ। यही वह परिवाद–पत्र पर है जिस पर मेरे अंगूठे का निशान है। सभी अभियुक्त को पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से किए गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। घटनास्थल पर अभियुक्तगण एक साथ नहीं आया था, बारी–बारी से आया था। अमित कुमार सिंह को गांव में गुलाब सिंह भी कहते है। अभियुक्तगण अनुसूचित जाति का सदस्य समझकर प्रताड़ित नहीं किया था। अभियुक्तगण से राजी खुशाी से सुलह कर दिया हूं। सुलहनामा एवं इजाजतनामा पर अंगूठे का निशान करके न्यायालय में दाखिल किया हूं। आगे केस लड़ना नहीं चाहता हूं। गवाही नहीं देना चाहता हूं।

मंतव्य

15. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से एक मात्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया है जो अभियोजन साक्षी संख्या 1 महेन्द्र राम है। इस वाद में अनुसंधानकर्त्ता एवं किसी भी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 महेन्द्र राम है जो इस वाद का सूचक है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटनास्थल पर अभियुक्तगण एक साथ नहीं आया था, बारी–बारी से आया था। अमीत कुमार सिंह को गाँव में गुलाब सिंह भी कहते है। अभियुक्तगण अनुसूचित जाति का सदस्य समझकर प्रताड़ित नहीं किया था। अभियुक्तगण से राजी खुशी से सुलह कर लिया हूँ। सुलहनामा एवं इजाजतनामा पर अंगूठे का निशान करके न्यायालय में दाखिल किया हूँ। आरोप अन्तर्गत धारा– 147, 323/149, 504/34, 379/149, भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट के आरोपों को साबित करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने पर यह विदित है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

16. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मन्तव्य एवं अभियोजन साक्ष्य की विवेचना एवं दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता के बहस पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. अमित कुमार उर्फ गुलाब ,2. देवनाथ सिंह, 3. सरोज राय, 4. धमेन्द्र राय, 5. लक्ष्मण साह, 6. चंदन**

सिंह एवं **7. श्विजी महतो** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 147, 323/149, 504/34, 379/149, भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

17. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, अभियुक्तगण**1. अमित कुमार उर्फ गुलाब ,2. देवनाथ सिंह, 3. सरोज राय, 4. धमेन्द्र राय, 5. लक्ष्मण साह, 6. चंदन सिंह** एवं **7. श्विजी महतो** का आरोप अंतर्गत धारा–147, 323/149, 504/34, 379/149, भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s), एस0सी0/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट से **निर्दोष** पाते हुए उन्हें इन सभी आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उनमुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धिकृत एवं

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/–
(राजीव कुमार–III)
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–
विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।
दिनांक–01.04.2026.

ह0/–
(राजीव कुमार–III)
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–
विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।
दिनांक–01.04.2026